(2020) 12 एस.सी.आर. 1133

कुश कालरा

प्रति

भारत संघ।

(रिट याचिका (सिविल) 1213 वर्ष 2020) 09 दिसंबर, 2020

(अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी और एम. आर. शाह, जे.जे.)

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005–गृह संगरोध के तहत कोविड–19 संक्रमित व्यक्तियों के आवासों के बाहर पोस्टर चिपकाए गए–रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें पोस्टर लगाने के उक्त निर्णय को रद्द करने के लिए प्रार्थना की गई है–अवधारणाः स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों में कोविड–19 संक्रमित व्यक्तियों के आवासों के बाहर पोस्टर चिपकाने की आवश्यकता शामिल नहीं है।–राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा 2005 अधिनियम के अन्तर्गत कोई निर्देश जारी किए जाने पर ही इस तरह के अभ्यास का सहारा ले सकते हैं।
–भारत का संविधान–अनुच्छेद 32।

रिट याचिका का निस्तारण करते हुए न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया कि–
भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिनांक 02.07.2020 को जारी दिशा–निर्देश भारत संघ के 30.11.2020 के शपथपत्र में अनुलग्नक 'ए' के रूप में अभिलेख के रूप में उपलब्ध हैं, जिसमें कोविड–19 संक्रमित व्यक्तियों के आवासों के बाहर पोस्टर चिपकाने के संबंध में कोई दिशा–निर्देश नहीं है अपितु भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी विभागीय आदेश दिनांक 19.11.2020 को भारत संघ द्वारा अभिलेख पर लाया गया है। हालांकि, याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका के समर्थन में विभिन्न तर्क प्रस्तुत किये गये है, लेकिन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के मद्देनजर, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत प्राधिकरण द्वारा शक्ति के प्रयोग के लिए संदर्भित हैं, जिसमें कोविड–19 संक्रमित व्यक्तियों के आवासों के बाहर पोस्टर चिपकाने के संबंध में कोई आवश्यकता वर्णित नहीं है। विस्तृत प्रस्तुतियाँ वर्तमान रिट याचिका में विचारणीय नही है। भारत संघ पहले ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी मार्गदर्शन के सम्बन्ध में विभागीय आदेश दिनांक 19.11.2020 जारी कर चुका है, जिसमें यह पर्यवेक्षित है कि अब से किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को कोविड–19 संक्रमित व्यक्तियों के निवास के बाहर पोस्टर चिपकाने की आवश्यकता नहीं है।

राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश उपरोक्त अभ्यास का सहारा तभी ले सकते हैं जब आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई निर्देश जारी किया जाता है। (प्रस्तर–11,13)
(1137–ई–एफ; 1138–ई–एच)

व्यवहार मूल क्षेत्राधिकारः रिट याचिका (सिविल) सं0 1213 वर्ष 2020

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत

तुषार मेहता, महा लोक अभियोजक, चिन्मय प्रदीप शर्मा, इरफान हसीब, पुनीत तनेजा, बीवी बलराम दास, रजत नायर, शांतनु शर्मा, गुरमीत सिंह मक्कर, चिराग एम। श्रॉफ और सुश्री अभिलाषा भारती, सलाहकार, उपस्थित पक्षगण के लिए।

न्यायालय का निर्णय अशोक भूषण, जे. द्वारा दिया गया था

1– यह रिट याचिका अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका के रूप में दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना कीः

ए– प्रत्यर्थी सं0 4 से 38 द्वारा कोविड–19 संक्रमित व्यक्तियों, जो पृथक वास में है, के निवास के बाहर पोस्टर चिपकाने के लिए गए निर्णय को रद्द करते हुए उत्प्रेषण लेख जारी करें।

बी– प्रत्यर्थी क्रमांक 4 से 38 तक को निर्देश देते हुए एक परमादेश रिट जारी करें, यह सुनिश्चित करने के लिए उचित आदेश जारी करें कि उसके अधिकारी घर पर पृथक–वास में रहने वाले कोविड–19 पॉजिटिव व्यक्तियों के आवासों के बाहर पोस्टर चिपकाने की प्रथा को समाप्त कर दें।
सी– यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसके अधिकारी और कर्मचारी किसी भी व्यक्ति या निवासी कल्याण संघों/पड़ोस कल्याण समूहों/अपार्टमेंट ब्लॉक समूहों आदि को कोविड–19 पॉजिटिव व्यक्तियों के नामों का खुलासा न करें, उचित आदेश जारी करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 4 से 38 को निर्देश देने वाला परमादेश रिट जारी करें।
डी– इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, प्रत्यर्थी संख्या 3 से 38 तक को निर्देश दें कि वे निवासी कल्याण संघों/पड़ोस कल्याण समूहों/अपार्टमेंट ब्लॉक समूहों आदि से संबंधित किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में कोविड–19 पॉजिटिव व्यक्तियों के नामों के प्रसार को तुरंत रोकने के लिए उचित आदेश जारी करें। .; और
ई– मामले की प्रकृति और परिस्थितियों के अनुसार ऐसे अन्य और आगे के आदेश पारित किये जायें, जैसा माननीय न्यायालय उचित समझे।
''कुश कालरा बनाम भारत संघ और अन्य''
(अशोक भूषण, जे.)

2– रिट याचिका में हालांकि भारत संघ के अलावा, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पार्टी प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया है, लेकिन हमने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी नहीं किया है। विद्वान सॉलिसिटर जनरल भारत संघ, प्रतिवादी सं0 1 के लिए उपस्थित हुए हैं और उन्होंने 30.11.2020 को एक हलफनामा भी दायर किया है।

3. यह रिट याचिका भारत के संघ के लिए उपस्थित सॉलिसिटर जनरल की सुनवाई के बाद प्रतिवादी सं0. 2 से 38 को नोटिस जारी किए बिना तय की जा रही है।

4. रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों और अधिकारियों द्वारा उन व्यक्तियों के आवासों के बाहर पोस्टर चिपकाने के फैसले पर सवाल उठाया है जो कोविड–19 संक्रमित हैं और उन्हें घर पर एकान्तवास में रहने की आवश्यकता है। याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा कोविड–19 संक्रमित व्यक्तियों के नामों को प्रकाशित करने से रोकने के निर्देश जारी किए जाएं और कॉलोनी और अपार्टमेंट परिसर के कल्याण संघों में उनके नामों को स्वतंत्र रूप से प्रसारित करने से भी रोका जाए जो मौलिक अधिकारों, निजता के अधिकार और सम्मान के साथ जीने के अधिकार का गंभीर उल्लंघन गंभीर हैं।

5. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री चिन्मय प्रदीप शर्मा और विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता को सुना है। श्री चिराग एम. श्रॉफ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के एनसीटी के लिए उपस्थित हुए हैं।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने रिट याचिका के समर्थन में निम्नलिखित दलीलें दीं–

(1) कोविड–19 संक्रमित व्यक्तियों के आवासों के बाहर पोस्टर लगाना यह निजता के अधिकार का अभूतपूर्व उल्लंघन है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार का महत्व गोपनीयता और उसके सार को इस माननीय न्यायालय द्वारा न्यायमूर्ति के.एस. के मामले पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ की रिपोर्ट (2017) 10 एससीसी आई में दिए गए अपने फैसले में मान्यता प्रदान की गयी है।

(2) कोविड–19 संक्रमित व्यक्तियों को अपने घरों में रहना पड़ रहा है सार्वजनिक रूप से चिपकाए गए पोस्टरों के साथ उनके आवास और उनके सार्वजनिक मंचों में व्यापक रूप से प्रकट और प्रसारित किए जा रहे नाम सबसे अमानवीय और अपमानजनक अनुभव हैं। यह उन व्यक्तियों को पड़ोस की बात करने और उनके निजी जीवन और बीमारी को निष्क्रिय गपशप का विषय बनाता है। इसके अलावा,

एक व्यक्ति की गरिमा समाज में रहने की क्षमता में निहित है. जब पोस्टर चिपकाए जाते हैं और नामों को सार्वजनिक रूप से प्रसारित किया जाता है, तो एक व्यक्ति के निजी जीवन को सार्वजनिक जांच के अधीन किया जाता है जो किसी की गरिमा के बहुत लोकाचार को नष्ट कर देता है।

(3) कोविड–19 संक्रमित व्यक्तियों को केवल इसलिए बदनाम नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्हें यह बीमारी हुई है। किसी व्यक्ति की बीमारी को भेदभाव और अलग–अलग व्यवहार का कारण या आधार नहीं बनाया जा सकता। ये वे सिद्धांत हैं जिन पर संविधान का अनुच्छेद 14 आधारित है। इसके अलावा, संविधान बीमारी और शारीरिक पीड़ा के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं देता है और न ही दे सकता है।

(4) अपने घातक प्रभावों के साथ कोविड–19 शारीरिक और मानसिक रूप से सबसे कष्टदायक अनुभव है। इसमें अलगाव में रहने का दर्दनाक अनुभव और स्वतंत्रता में गंभीर कटौती शामिल है। एक कोविड–19 संक्रमित व्यक्ति को पहले से ही राज्य द्वारा अलगाव के रूप में प्रतिबंधों के अधीन किया जाता है जो संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अधिकारों में कटौती के समान है। राज्य को आवासों के बाहर पोस्टर चिपकाने और नाम प्रसारित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिससे संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों में और कटौती हो सकती है।

(5) पोस्टर चिपकाने की प्रथा किसी भी उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु ज्ञात या सिद्ध नहीं है। ऐसा करने का निर्णय बिना सोचे–समझे लिया गया है। यह ध्यान रखना बेहद महत्वपूर्ण है कि उत्तरदाताओं द्वारा पोस्टर चिपकाना प्रतिकूल साबित हुआ है। सकारात्मक परीक्षण के मामले में अनुचित ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए, लोग कतरा रहे हैं और जानबूझकर खुद को सार्वजनिक शर्मिंदगी और कलंक से बचाने के लिए परीक्षण नहीं कराने का विकल्प चुन रहे हैं, जो उनके आवासों के बाहर पोस्टर चिपकाने के कारण हो रहा है। एक व्यक्ति जो कोविड–19 संक्रमित है, उसे पड़ोसियों और कॉलोनी/पड़ोस के अन्य निवासियों के अनावश्यक और अनुचित ध्यान से निपटने के बजाय गंभीर बीमारी से निपटने और ठीक होने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए।

7– याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका (सी) संख्या 7250 वर्ष 2020 के रूप में एक रिट याचिका भी दायर की है, जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने कहा है कि किसी भी गृह एकान्तवास के निवास के बाहर कोई पोस्टर नहीं लगाया जाएगा।

''कुश कालरा बनाम भारत संघ और अन्य''

(अशोक भूषण, जे.)

सभी पोस्टर जो पहले से ही घर के अलगाव के रोगियों के निवास के बाहर पोस्ट किए गए हैं, उन्हें हटा दिया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के एनसीटी के उपरोक्त प्रस्तुतिकरण को अधिसूचित करते हुए दिनांक 03.11.2020 के आदेश द्वारा रिट याचिका का निपटारा किया है।

8. विद्वान सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा होम आइसोलेशन के लिए जो दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, उनमें कोविड–19 संक्रमित व्यक्तियों के निवास के बाहर पोस्टर चिपकाने के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं हैं। उन्होंने इस विषय पर दिनांक 02.07.2020 को जारी दिशा–निर्देशों (बहुत हल्के/पूर्व–लक्षणात्मक/स्पर्शोन्मुख कोविड–19 मामलों के होम आइसोलेशन के लिए संशोधित दिशानिर्देश) का उल्लेख किया है।

9. श्री मेहता का कहना है कि परिवार कल्याण विभाग ने भी एक विभागीय आदेश दिनांकित 19.11.2020 जारी किया है, जिसमें सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/सचिवों (स्वास्थ्य) को भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों में कोविड–19 संक्रमित पाए गए लोगों के आवासों के बाहर पोस्टर या अन्य साइनेज चिपकाने के संबंध में कोई निर्देश या मार्गदर्शन नहीं है।

10. हमने पक्षों के विद्वान वकील की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया।

11. भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 02.07.2020 के दिशा–निर्देशों को भारत संघ के दिनांक 30.11.2020 के हलफनामे के अनुलग्नक 'ए' के रूप में अभिलेखों पर लाया गया है, जिसमें कोविड–19 संक्रमित व्यक्तियों के आवासों के बाहर पोस्टर चिपकाने के संबंध में कोई दिशानिर्देश शामिल नहीं हैं। भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विभागीय आदेश दिनांकित 19.11.2020 जारी किया गया है, जिसे भारत संघ द्वारा निम्नलिखित प्रभाव से रिकॉर्ड में लाया गया है–

"इस मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया है कि कुछ राज्यों में, संक्रमित पाए गए व्यक्तियों के घरों के बाहर पोस्टर चिपकाने की प्रथा का पालन किया जा रहा है। ऐसी संभावना है कि कुछ राज्यों में इस प्रथा का सहारा ऐसे मामलों में भी लिया जा सकता है, जहां सकारात्मक व्यक्ति घर पर पृथक–वास में नहीं हैं, बल्कि उन्हें कोविड देखभाल केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया है या अस्पताल में भर्ती हैं।

2 2. इस संदर्भ में निम्नलिखित को सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए मार्गदर्शन के रूप में दोहराया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट (2020) 12 एस.सी.सी.आर.

(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों में कोविड–19 संक्रमित पाए गए लोगों के आवासों के बाहर पोस्टर या अन्य साइनेज लगाने के संबंध में कोई निर्देश या मार्गदर्शन नहीं है।

(2) इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश बहुत स्पष्ट है, जो घरेलू एकांतवास के तहत सकारात्मक रोगियों के लिए 2 जुलाई, 2020 को जारी किया गया, इसे यहां संलग्न किया गया है और इसे https://www-mohfw-gov-in@pdf@ RevizedHomelsolationGuidelines-pdf पर भी देखा जा सकता है। इन दिशानिर्देशों का सभी को अक्षरशः पालन करना होगा।

(3) मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों का ईमानदारी से पालन सुनिश्चित करने के लिए आपके हस्तक्षेप का अनुरोध करता हूँ।

12. विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने कोविड–19 संक्रमित व्यक्तियों के आवासों के बाहर पोस्टर चिपकाने के संबंध में भारत संघ का रुख स्पष्ट रूप से साफ कर दिया है। कहा गया है कि न तो भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्देश जारी किया गया है और न ही किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए यह अनिवार्य है कि वह कोविड–19 संक्रमित व्यक्तियों के आवास के बाहर पोस्टर चिपकाए। रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने यह भी अनुरोध किया है कि पंजाब राज्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जिन्होंने पहले कोविड–19 रोगियों के आवास के बाहर पोस्टर चिपकाने के निर्देश जारी किए थे, ने उक्त आदेश वापस ले लिए हैं और अब कोई भी पोस्टर कोविड–19 संक्रमित व्यक्तियों के घर के बाहर नहीं चिपकाया जाएगा।

13. हालाँकि, याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका के समर्थन में विभिन्न तर्क दिये गये हैं, लेकिन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के मद्देनजर, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत प्राधिकरण द्वारा शक्ति का प्रयोग करने के लिए संदर्भित हैं। इसमें कोविड–19 संक्रमित रोगियों के घरों के खिलाफ पोस्टर चिपकाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उपरोक्त विस्तृत प्रस्तुतियों पर वर्तमान रिट याचिका में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। भारत संघ पहले ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देशित करने के लिए विभागीय आदेश दिनांकित 19.11.2020 जारी कर चुका है। जिसके अनुसार, हम केवल यह मानते हैं कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को अब तक कोविड–19 संक्रमित व्यक्तियों के निवास के बाहर पोस्टर चिपकाने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश उपरोक्त प्रक्रिया का सहारा तभी ले सकते हैं जब आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई निर्देश जारी किया गया हो। रिट याचिका का निपटारा तदनुसार किया जाता है।

दिव्या पांडे याचिका का निस्तारण किया गया।

Mumtaz Ali
ASJ/Special Judge (POCSO)
Shamli